[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2023

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 11/2021 सीमा-शुल्क, तारीख 01 फरवरी, 2021 जो संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(1) क्रम संख्यांक 10 के सामने, स्तंभ (4) में "शुन्य" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"13क.	40113000	भारत के राजपत्र संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशितअधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम संख्यांक 280क के अधीन आने वाले सभी माल ।	0.5%";

(3) क्र. सं. 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(4) क्रम संख्यांक 15क के सामने, स्तंभ (4) में,"1.5%" प्रविष्टि के स्थान पर, "5.4%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) क्रम संख्यांक 15क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)

“15ख.	71	निम्न लिखित माल, अर्थात : - (क) रजत डोर बार, जिसमे 95 % से अनधिक रजत अंतर्वस्तु है; (ख) स्वर्ण डोर बार, जिसमे 95 % से अनधिक स्वर्ण अंतर्वस्तु है; परंतु यह कि आयातकर्ता, सीमाशुल्क (शुल्ककीरियायती कि दर पर या विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए माल का आयात) नियमावली,2022 में विहित प्रक्रिया का पालन करता है; परंतु यह भी कि, - (क) माल सीधे उस देश से, जिसमे उसका उत्पादन किया गया था, लादा जाता है और प्रत्येक छड का भार 5कि. ग्राम या उससे अधिक है; (ख) माल का आयात उस खनन कंपनी द्वारा जिसके द्वारा उनका उत्पादन किया गया था, जारी की गई पैकिंग सूचि के अनुसार किया जाता है ; (ग) आयातकर्ता, यथास्थिति, सीमा- शुल्क उपायुक्त या सीमा शुल्क सहायक आयुक्त के समक्ष डोर छड में अंतर्विष्ट बहुमूल्य धातु का ब्योरा देते हुए खनन कंपनी या उससे सम्बन्ध प्रयोगशाला द्वारा जारी किया गया परख प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ; (घ) स्वर्ण डोर छड का आयात वास्तविक उपभोक्ता द्वारा 99.5% प्रतिशत और उससे अधिक शुद्धता वाली मानक स्वर्ण की छड़ों के परिष्करण और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाता है; और (ड़) रजत डोर का आयात वास्तविक उपभोक्ता द्वारा 99.9% और प्रतिशत और उससे अधिक शुद्धता वाली उससे रजत छड़ों के परिष्करण और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया जाता है।	4.35%
15ग.	71(7106,	भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 785(अ), तारीख	2.5%

	7108 केअलावा)	30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम सं. 356और 357 के अधीन आने वाले सभी माल ।	
15घ.	7106, 7108, 98	निम्नलिखितमाल (क्रमसं. 15खऔर 15ग केअंतर्गतआनेवालेमालोंकेसिवाय) अर्थात्:- (क) रजत (ख) स्वर्ण	5%";

(6)क्र. सं. 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(7) क्रम संख्यांक 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"16क.	8802 2000, 8802 3000, 8802 4000	भारत के राजपत्र संख्यांक सा.का.नि. 785 (अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क तारीख 30 जून, 2017 की सारणी के क्रम संख्यांक 543क के अधीन आने वाले सभी माल ।	0.5%;

(8) क्रम संख्यांक 17 के सामने, स्तंभ (3) में, "16" अंक के स्थान पर "16क" अंक रखा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, संख्यांक 11/2021-सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 60/2022-सीमाशुल्क, तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 829(अ), तारीख 18 नवंबर, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।